GCMS
2025/32

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

सरकार **बनाम प्रहलाद वगै0**

किस्म मुकदमा–प्रा.पत्र नम्बर 13 सन्– 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2025	पत्रावली अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रा.पत्र वास्ते शुद्धिकरण प्रस्तुत करने पर पेश हुई। अप्रार्थी सं0 1 एवं अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण सं0 1/2018 उनवानी सरकार बनाम प्रहलाद वगै. में न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.2.2025 में लिपिकीय त्रुटियों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया है:– 1. माननीय न्यायालय के निर्णय के पैरा सं. 03 की पंक्ति सं0 06 में संतरा पत्नि कैलाश के स्थान पर संतरा पत्नि प्रहलाद संशोधित किया जावे। 2. निर्णय के पैरा सं0 3 की पंक्ति सं0 02 में प्रहलाद मीना के स्थान पर प्रहलाद बैरवा संशोधित किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 को सुना गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली तलब कर अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं मूल निर्णय के अवलोकन से ये सिद्ध होता है कि उक्त त्रुटि सहवन से हुई लिपिकीय त्रुटि है उक्त त्रुटियों के संशोधन से निर्णय की मूल भावना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संशोधन स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.2.2025 प्रकरण सं0 1/2018 उनवानी सरकार बनाम प्रहलाद वगै0 के निर्णय पेरा सं0 3 की पंक्ति सं. 6 में संतरा पत्नि कैलाश के स्थान पर संतरा पत्नि प्रहलाद पढा जावे तथा निर्णय के पैरा सं0 06 की पंक्ति सं0 2 में प्रहलाद मीना के स्थान पर प्रहलाद बैरवा पढा जावे। उक्त संशोधन आदेश निर्णय का भाग रहेगा। प्रा0पत्र दर्ज फैसल होकर मूल प्रार्थना पत्र के संलग्न रहे। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Devendra Kumar Date: 2025.10.01 10:56:32 IST Reason: SelfAttested जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official